रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 1999/ज्येष्ठ 5, 1921
No. 280] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 1999/JYAISTHA 5, 1921

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अनुज्ञापन समूह (बुनियादी सेवा-कक्ष)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 1999

का.आ. 382(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के भाग 3 की धारा 19ख के उपबंधों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी/प्राइवेट बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालक(कों) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को अपनी अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान उक्त अनुज्ञप्त सेवा क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं को उक्त अनुज्ञप्तिधारी(धारियों) द्वारा टेलीफोन सेवा प्रदान करने के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण अथवा प्रबंध में निहित अथवा उसके अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित के लिए संबंधित अनुज्ञप्त सेवा क्षेत्र में लोक प्राधिकारी, लोक निगम स्वशासी निकाय राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्वामी कहा गया है) से निम्नलिखित के लिए मार्ग मांगने की शक्तियां प्रदत्त करती है, अर्थात् :—

1. (क) संबंधित स्वामी के नियंत्रणाधीन या प्रबंधाधीन निहित किसी सम्पत्ति के नीचे और उसके साथ-साथ अथवा उसके आर-पार टेलीफोन लाइनें बिछाने और उनके अनुरक्षण तथा खम्बा लगाने के लिए,

(ख) उक्त अनुज्ञप्तिधारी(धारियों) द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित टेलीफोन लाइनों अथवा खंबों की जांच, मरम्मत करने, बदलने अथवा उन्हें हटाने के लिए उस सम्पत्ति के नीचे ऊपर, उसके साथ-साथ, उसके आर-पार उसमें अथवा उस पर लाइन बिछाई गई है अथवा खंभा लगाया गया है, वहां प्रवेश करने के लिए :

परन्तु उक्त अनुज्ञप्तिधारी

(i) हमेशा उक्त अधिनियम के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का पालन करेगा, और

(ii) उस स्वामी की स्पष्ट अनुज्ञा के बिना संबंधित स्वामी के नियंत्रणाधीन या प्रबंधाधीन उक्त सम्पत्ति के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

(iii) इस अधिसूचना के अधीन उक्त अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के कारण उनके द्वारा किए किसी नुकसान के लिए व्यथित स्वामियों को पूरे प्रतिकर का भुगतान करेगा।

2. इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त शक्तियां दूरसंचार विभाग के टेलीफोन नेटवर्क की दूरसंचार स्थापनाओं सहित सभी भूमिगत सेवाओं को किसी भी प्रकार का नुकसान, व्यवधान, रुकावट, तोड़फोड़ या उनकी सेवाएं ठप्प होने से अत्यांतिक संरक्षा या सुरक्षा के अध्यधीन होंगी।

3. इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त शक्तियां उस सम्पत्ति पर लागू उक्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होंगी जिसके संबंध में संबंधित स्वामी उक्त स्वामी की अनुज्ञा दे सकेंगे तथा ऐसी युक्तियुक्त शर्तों के अधीन होंगी जिन्हें संबंधित स्वामी अधिरोपित करना ठीक समझे जैसे कि इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करने के परिणामस्वरूप स्वामी को किसी प्रकार के व्यय का भुगतान करना आवश्यक हो जाए अथवा उक्त शक्तियों के अधीन उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए किसी कार्य के ढंग के संबंध में अथवा किसी अन्य बात के संबंध में किसी कार्य के निष्पादन के समय के संबंध में लागू शर्तों का पालन किया जाए।

परन्तु यह भी कि जब उक्त उपबंधों के अधीन उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी स्वामी की सम्पत्ति के नीचे-ऊपर, उसके साथ-साथ उसके आर-पार, उसमें या उस पर उसके नियंत्रणाधीन या प्रबंधाधीन कोई टेलीफोन लाइन या खम्भा लगाया गया हो और ऐसा स्वामी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनके अधीन टेलीफोन लाइन अथवा खंभे को इस प्रकार लगाया था इसे हटाना अथवा इसका स्थान बदलना समीचीन समझता हो तो स्वामी, उक्त अनुज्ञप्तिधारी से इसे हटाने या इसका स्थान बदलने की अपेक्षा कर सकेगा।

4. उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त की गई शक्तियां अनुज्ञप्त क्षेत्र के संबंध में सम्यकतः सुसंगत प्रतिफल का संदाय करने के पश्चात और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारत के राष्ट्रपति के साथ उक्त अनुज्ञप्ति करार तथा अन्तर-संबद्धन करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से केवल उसी प्रचालन क्षेत्र विशेष/सेवा क्षेत्र जिसके लिए उसे अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है, पर ही प्रवृत्त होंगी।

5. उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त शक्तियों की प्रवर्तनीयता उस सीमा तक निर्बन्धित होगी जिस तक प्रयोजन के लिए उसे अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है और यह ऐसी अन्य शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए होगा जो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

स्पष्टीकरण

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "सेवा" से केवल वास्तविक समय में, उक्त अनुज्ञप्तिधारी के पीएसटीएन (पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क) पर आईएसडीएन (एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क) की सुविधाओं सहित वॉयस अथवा नॉन-वायस संदेशों के प्रेषण और इसमें इनका रखा जाना तथा आगे भेजना/रखा जाना तथा पुनः प्राप्त करने वाले किस्म के संदेशों का प्रेषण तार अथवा बेतार माध्यम पर वायस अथवा नान-वायस संदेशों के प्रसारण पैकेट स्विच्ड डॉटा टेलेक्स अथवा तार सेवा चल वॉयस और नॉन-वायस सेवाएं वायस मेल आडियोटेक्सट और ई-मेल जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं।

[सं. 10-2/95-बीएस-II/खंड-IV]

एन. परमेश्वरन्, उप महानिदेशक (बीएस) (संयुक्त सचिव पदेन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
Licensing Group (Basic Service Cell)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 1999

S. O. 382(E).—In exercise of the provisions of section 19B, of Part-III of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby, confers the powers upon duly authorised licensee(s)/private basic telephone service operator(s) under section 4 of the said Act, (hereinafter referred to as the said licensee) to seek way-leave from any person including public authority, public corporation, autonomous body, State Government or Central Government (hereinafter referred to as the "owner" of immovable property) in the respective licensed service area for the following in respect of a property vested in or under the control or management of the owner, in connection with providing the telephone service by the said licensee(s) to its subscribers in the said licensed service area during the currency of its licence, namely :—

1(a) to place and maintain telephone lines under, over, along or across and posts in or upon property vested in or under the control or management of concerned owner;

(b) to enter on that property under, over, along, across, in or upon which the line or post has been placed, in order to examine, repair, alter or remove telephone lines or posts established or being maintained by the said licensee(s).

Provided that the said licensee shall :

(i) always comply with the provisions of the said Act or any other law for the time being in force; and

(ii) not exercise the powers conferred under this notification in respect of the said property vested in or under the control or management of the concerned owner, without the express permission of that owner;

(iii) pay full compensation to the aggrieved owners for any damage sustained by them by reason of the exercise of the powers conferred on the said licensee under this notification.

2. The powers conferred under this notification shall be subject to absolute protection or safety of all the underground services including telecom installations of Department of Telecommunication's telephone network from any kind of damage, interference, interruption, disruption or failure of any services thereof.

3. The powers conferred under this notification, shall be governed by the provisions of the said Act, as applicable to that property regarding which the concerned owner may give permission to the said licensee and subject to such reasonable conditions as such owner thinks fit to impose, as to the payment of any expenses to which such owner will necessarily be put in consequence of the exercise of the powers so conferred, or as to the time or mode of execution of any work, or as to any other thing connected with or relating to any work undertaken by the said licensee under the said powers;

Provided that when, under the said provisions, a telephone line or post has been placed by the said licensee under, over, along, across, in or upon the property vested in or under the control or management of an owner not being a local authority, and such owner, having regard to circumstances under which the telephone line or post was so placed, considers it expedient that it should be removed or that its position should be altered, the owner may require the said licensee to remove it or alter its position, as the case may be.

4. The powers conferred under this notification shall be enforceable by the said licensee, only in the particular operational area/service area licensed to him, from the date on which the said licensee signs a licence agreement and interconnect agreement with the President of India after payment of relevant consideration duly fixed and completion of other necessary formalities in respect of the licensed service area.

5. The enforceability of the powers conferred under this notification, by the said licensee, shall be restricted to the extent of his licence for the purpose for which it is granted and subject to any other conditions and restrictions as the Central Government may determine from time to time.

6. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Explanation :— For the purpose of this notification, "service" means transmission of voice or non-voice messages inclusive of ISDN (Integrated Service Digital Network) facilities over the said licensee's PSTN (Public Switched Telephone Network) in real time only and does not include, the store and forward/store and retrieve type of message transmission, broadcasting or voice of non-voice message over wire or wireless media, packet switched data, telex or telegraph service, mobile voice and non-voice scrivces, value added services such as voice mail, audio text and E-Mail.

[No. 10-2/95-BS-II/Vol-IV]

N. PARAMESWARAN, Dy. Director General (BS)

(in the rank of Jt. Secy.)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.